उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ, नैनीताल

उपस्थितः माननीय कैप्टन आलोक शेखर तिवारी

.....सदस्य (प्रशासनिक)

याचिका संख्या 159 / एन0बी0 / एस0बी0 / 2023

उ0 नि0 नागरिक पुलिस विपिन चन्द्र जोशी आयु 43 वर्ष (आधार संख्या 649770983134) पुत्र जगदीश चन्द्र जोशी निवासी शांति कॉलोनी ई0 2 किच्छा रोड, भदईपुरा, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड–263153

.....याची

बनाम्

1. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन सचिवालय, देहरादून।

2. पुलिस महानिरीक्षक उत्तराखण्ड पुलिस कुमायूँ परिक्षेत्र, नैनीताल।

3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंह नगर, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

..... विपक्षीगण

उपस्थितिः श्री एन0 के0 पपनै, विद्वान अधिवक्ता–याचीकर्ता ।
श्री किशोर कुमार, विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी–विपक्षीगण।

निर्णय

दिनांकः नवम्बर 11, 2024

प्रस्तुत वाद में याची द्वारा निम्न अनुतोष चाहा गया हैः–

"1. आलोच्य दण्ड आदेश दिनांकित 02.03.2022 (निर्देश याचिका का संलग्नक 1) तथा अपील प्राधिकारी का अपील आदेश दिनांकित 31.01.2023 (निर्देश याचिका का संलग्नक 2) को

अपास्त (quash) करें और अवैध तथा शून्य घोषित कर विपक्षीगण को निर्देशित करें कि वह याची को दिये गये दण्ड को उसकी चरित्र पंजिका व अन्य अभिलेखों से विलुप्त करें,

2. याची को समस्त परिणामिक सेवालाभ अवमुक्त करते हुये अनुमन्य अन्य सेवालाभ प्रदान करें

3. अन्य उपचार जो मामले की परिस्थितियों के अनुरूप माननीय अधिकरण उचित समझे,

4. याचिका का खर्च याची को दिलाने हेतु आदेश।"

2. संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची जब चौकी सुल्तानपुर पट्टी में दिनांक 28.08.2020 को चौकी प्रभारी के पद पर तैनात था उस दौरान सहकर्मियों के साथ मिलकर चौकी क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुये कई वाहन अवैध खनन का परिवहन करते हुये पकड़कर सोज किये गये जिन पर वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा भारी राजस्व वसूल की गयी। याची द्वारा अपनी तैनाती में वाहनों का चालान किया गया जिससे रू0 2,50,000/– का समन शुल्क वसूल हुआ एवं आयुध अधिनियम के अन्तर्गत एक पिस्टल मय मैगजीन दो कारतूस, दो सीएमपी 315 बोर दो कारतूस बरामद कर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 103 पेटियों में 126 बोतल अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का व 100 पाउच शराब खाम बरामद कर तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अवैध खनन की रोकथाम हेतु की गयी कार्यवाही के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से कूटरचित खनन रॉयल्टी तैयार करने वाले मोहम्मद अकरम नाम के एक व्यक्ति को कूटरचित खनन दस्तावेजों सहित गिरफ्तार किया गया। अवैध खनन करने वाले 15 ओवरलोड वाहन सीज किये गये, मे 09 वाहनों को खनन करते हुये पकड़कर सीज कर सम्बन्धित खनन विभाग एवं वन विभाग को कार्यवाही करने हेतु पत्राचार

किया गया। चार ट्रैक्टरों व 06 मोटरसाईकिलों जिन्हें पुलिस की कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण छोड़कर भाग गये थे, को लावारिस हालत में दाखिल किया गया। याची द्वारा पूर्व से लम्बित एवं उसके कार्यकाल में कुल 36 विवेचनाओं में से 20 विवेचनाओं का निस्तारण किया एवं चौकी प्रभारी के दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन किया गया। दिनांक 10.12.2020 को जब क्षेत्राधिकारी बाजपुर द्वारा अवैध खनन लोड कर परिवहन करते हुये एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रामजीवनपुर में पकड़ा तो याची भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुॅचा और कार्यवाही की एवं याची द्वारा इस दौरान अवैध खनन पर अपने एवं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की मदद से पूर्व रोक लगा दी। दिनांक 02.02.2021 को याची अवैध खनन पर रोक लगाने हेतु खनन क्षेत्र में लगातार नजर रख रहा था। चौकी सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र के किसी भी खनन क्षेत्र से कोई अवैध खनन वाहन नहीं निकला। क्षेत्राधिकारी द्वारा दिनांक 02.02.2021 को रात्रि 01.00 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढिल्लन ढाबा के पास चार टक ओवरलोड खनन सामग्री भरे पकड़े गये जिनका ओवरलोड एवं अवैध खनन में चालान किया गया परन्तु सम्बन्धित ट्रक चालकों द्वारा अजीतपुर यू0पी0 से खनन सामग्री लोड कर ले जाना बताया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग में अत्यधिक ट्रैफिक रहता है। रात्रि समय में बिना समुचित पुलिस बल के चेकिंग किया जाना भी सम्भव नहीं होता है रात्रि चेकिंग करने की दशा में जाम लगने की सम्भावना बनी रहती है। याची द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण लगन एवं निष्ठा से किया गया और अपनी चौकी में अवैध खनन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी जिससे खनन व्यवसायी याची से रंजिश रखने लगे और उसको झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने लगे। क्षेत्राधिकारी बाजपुर द्वारा खनन व्यवसायियों की झूठी शिकायत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 03 को 03 फरवरी, 2021 में एक पत्र प्रेषित कर यह कहा गया कि विगत कुछ माह से कोतवाली बाजपुर के रिर्पोटिंग पुलिस

चौकी सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन की शिकायतें लगातार प्राप्त होने पर उनके द्वारा दिनांक 10.10.2020 एवं पुनः 02.02.2021 को औचक निरीक्षण किया गया तो मुख्य हाईवे पर 04 टक ओवरलोड अवैध खनन परिवहन करते हुये पकड़ा मौके पर उक्त वाहन चालकों द्वारा खनन से सम्बन्धित कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया पूछताछ पर उक्त वाहन चालकों द्वारा सम्बन्धित खनन सामग्री पाल स्टोन केशर से संभल, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश लेकर जाना बताया गया। चौकी सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र से छोई मोड़ के पास रात्रि में पिकेट ड्यूटी पर कानि0 बबलू गोस्वामी मय हमराही होमगार्ड के तैनात होना पाया गया जिनके द्वारा भी उपरोक्त वाहनों को चक नहीं किया गया। अवैध खनन सामग्री परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु चौकी प्रभारी दोराहा को निर्देशित किया गया। क्षेत्राधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि गोपनीय जानकारी/जनता के विश्वसनीय लोगों से पूछताछ करने पर उ0नि0 विपिन जोशी चौकी प्रभारी सुल्तानपुर पट्टी सहित कानि0 सुबोध शर्मा, कानि0 दर्शन सिंह व कानि0 बबलू गोस्वामी का अवैध खनन के कार्यों में संलिप्त होना प्रकाश में आया है। प्रकरण में अवैध खनन की रोकथाम पर प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित करने/चेतावनी दिये जाने के उपरान्त भी उप–निरीक्षक विपिन जोशी प्रभारी सुल्तानपुर पट्टी द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही न करना उक्त चौकी प्रभारी का अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही व उच्चाधिकारियों के आदेशों के प्रति शिथिलता को परिलक्षित करता है। क्षेत्राधिकारी बाजपुर द्वारा अवैध खनन व्यापारियों से मिलकर याची की मनगढ़न्त शिकायत प्रतिवादी संख्या 3 को दी गयी एवं मात्र क्षेत्राधिकारी के विश्वस्त सूत्रों जिनका नाम शिकायत में उजार नहीं किया गया, के आधार पर याची पर मनगढ़न्त आरोप लगाना विधि विरूद्ध है। क्षेत्राधिकारी बाजपुर के उक्त शिकायती पत्र दिनांक 03.02.2021 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा बिना याची के संज्ञान में लिये अपने

आदेश संख्या ज–12/2021 दिनांक 15 फरवरी, 2021 द्वारा पुलिस अधीक्षक, काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर को प्रारम्भिक जॉच हेतु जॉच अधिकारी नियुक्त करते हुये उनको निर्देशित किया कि वह प्रारम्भिक जॉच कर अपनी तथ्यात्मक एवं सुस्पष्ट आख्या एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें। जॉच अधिकारी द्वारा प्रकरण में जॉच कर अपनी जॉच आख्या प्रतिवादी संख्या 03 को पत्र संख्या एसटीए–केपीआर (पीई–02)/2021 दिनांक 16.03.2021 द्वारा प्रस्तुत की गयी। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या दिनांक 16.03.2021 को आधार बनाते हुये इसके निष्कर्षों के भी विपरीत जाकर कर्तव्य व आचरण के प्रति घोर लापरवाही अनुशासनहीनता, शिथिलता, अकर्मण्यता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक कार्य का आरोप लगाते हुये विपक्षी संख्या 03 ने कारण बताओ नोटिस संख्या द–16/2021 दिनांक 28.04.2021 को याची की वर्ष 2020 की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित करने का उल्लेख करते हुये दिया। उक्त नोटिस का याची द्वारा विस्तृत उत्तर प्रेषित किया एवं यह कहा गया कि मात्र एक अधिकारी द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर याची का सर्विस कैरियर में प्रश्नचिन्ह लगा देना उचित नहीं है और उक्त आरोप के कारण याची को भविष्य में प्रोन्नति नहीं दी जायेगी। विपक्षी संख्या 03 ने कोई स्पष्ट आधार व कारण दिये बगैर ही वर्ष 2021 की चरित्र–पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित करने का आदेश द–16/2021 दिनांक 02 मार्च, 2022 पारित कर दिया। याची ने उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी संख्या 02 के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसको विपक्षी संख्या 02 द्वारा अपील के तथ्यों व आधारों पर निष्पक्ष रूप से विचार किये बगैर अवैध रूप से याची द्वारा की गयी अपील को अपील आदेश पत्र संख्या सीओके–150 (10)/2022 दिनांक 31 जनवरी, 2023 से निरस्त कर दिया गया। अतः याची द्वारा उक्त याचिका मा0 लोक सेवा अधिकरण उत्तराखण्ड की खण्डपीठ नैनीताल के समक्ष योजित की गयी है।

3. प्रतिवादी संख्या–1, 2 एवं 3 की ओर से श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा लिखित विवेचन–पत्र दाखिल किया गया, जो इस प्रकार हैः–

3.1 प्रकरण की नियमानुसार प्रारम्भिक जॉच पुलिस अधीक्षक, काशीपुर जनपद ऊधम सिंह नगर से सम्पादित करायी गयी जिसके द्वारा अपनी सुस्पष्ट जॉच आख्या संख्या एसटीए–केपीआर (पीई–02)/2021 दिनांक 16.03.2021 में जॉचकर्ता अधिकारी द्वारा नियमानुसार कथनों को अंकित करते हुये साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के उपरान्त अपना निष्कर्ष अंकित किया गया। प्रकरण की जॉच से क्षेत्राधिकारी बाजपुर द्वारा चौकी सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त होन पर दिनांक 10.12.2020 व दिनांक 02.02.2021 को खनन क्षेत्रों में औचक निरीक्षण/छापेमारी की कार्यवाही के दौरान अवैध खनन व ओवरलोड परिवहन करते वाहनों को पकड़कर कार्यवाही किया जाना पाया गया। क्षेत्राधिकारी बाजपुर द्वारा दिनांक 10.12.2020 को अवैध खनन के सम्बन्ध में चौकी प्रभारी सुल्तानपुर को प्रभारी निरीक्षक बाजपुर के माध्यम से उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी उप–निरीक्षक ना0पु0 विपिन चन्द्र जोशी द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रेषित नहीं किया गया है जो आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। सम्पूर्ण प्रकरण की जॉच से चौकी सुल्तानपुर पट्टी पर नियुक्त उप–निरीक्षक ना0पु0 श्री विपिन चन्द्र जोशी द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेशों–निर्देशों का पालन न कर कर्तव्यों के प्रति शिथिलता व लापरवाही बरतने तथा चौकी क्षेत्रान्तर्गत हो रहे अवैध खनन एवं ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही न किये जाने का दोषी पाया है, जिसके आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधम सिंह नगर द्वारा दिनांक 09.06.2020 को आदेश पारित किया गया एवं वरिष्ठ पुलिस

अधीक्षक, ऊधम सिंह नगर द्वारा दण्ड पत्रावली संख्या द–16/2021 दिनांक 02.03.2022 को अन्तिम आदेश पारित किया गया।

3.2 याची द्वारा दण्डादेश संख्या द–16/2021 दिनांक 02.03.2022 के विरूद्ध पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूँ परिक्षेत्र, नैनीताल के समक्ष अपील योजित की गयी एवं पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूँ परिक्षेत्र, नैनीताल द्वारा अपील पर विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लेते हुये आदेश संख्या सीओके–150 (10)/2022 दिनांक 31.01.2023 से अपील को बलहीन पाते हुये अस्वीकृत कर दिया गया। अतः उक्त याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

4. याची की ओर से प्रतिउत्तर शपथ–पत्र दाखिल किया गया जिसमें विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिशपथपत्र/लिखित विवेचन में किये गये कथनों का प्रतिकार करते हुए याचिका में किये गये कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5. मैंन पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में याचिका में अंकित तथ्यों से परे कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि मात्र याचिका में उल्लिखित तथ्यों को ही दोहराया गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा याचिका संख्या 192/2017 (एस/एस) कान्स0 51 एपी जोगेन्द्र कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.05.2017 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया ह जिसमें पूर्वाग्रह से दूषित दण्डादेश को त्रुटिपूर्ण निर्णय का आधार मानते हुये अनुशासनिक दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्गत अपील निरस्तीकरण आदेश को अमान्य किया गया है। याची के विद्वान

अधिवक्ता द्वारा इसी मा0 न्यायालय द्वारा पूर्व में याचिका संख्या 37/एनबी/एसबी/2020 दीपक आर्या बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं 41/एनबी/एसबी/2020 राजेन्द्र सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेशों कमशः दिनांक 25.06.2021 एवं 15.07.2021 का भी दृष्टान्त देते हुये न्यायालय से आग्रह किया गया है कि याची के विरूद्ध दण्डाधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित पूर्वाग्रहग्रस्त दण्डादेश एवं अपीलीय आदेश को भी उक्तानुपालन में अपास्त किया जाना चाहिये।

7. उत्तरदाता पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, द्वारा अपनी बहस में विस्तार से न्यायालय के समक्ष इंगित किया गया है कि सम्पूर्ण प्रकरण की जॉच निष्पक्ष रूप से की गयो है एवं याची को प्रारम्भिक जॉच में दोष सिद्ध पाया जाकर ही दण्डित किया गया है। अतः याचिका बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा विशेष बल देते हुये यह भी कहा गया कि अवैध रूप से रेत एवं बालू खनन किया जाना एक सामान्य अपराध नहीं है, बल्कि इस अपराध में बड़ी संख्या में खनन कार्यरत् मजदूर, उपकरण वाहन एवं ठेकेदार इत्यादि शामिल होते हैं जो कि निकटवर्ती पुलिस चौकी के प्रभारी व अन्य पुलिस कर्मियो की संलिप्तता के बिना कारित नहीं किया जा सकता है। विचारणीय तथ्य यह है कि अवैध खननकर्ता द्वारा उक्त कार्य किया जाना एक निरन्तर चलने वाली प्रकिया है जिसमें दिन–प्रतिदिन के आधार पर एक लम्बी अवधि तक अवैध खनन कार्य किया जाता है। यह भी विचारणोय तथ्य है कि प्रश्नगत् पुलिस चौकी उक्त स्थान पर स्थापित किये जाने का प्राथमिक उद्देश्य ही यहो है कि उक्त चौकी के क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन सॅचालित न हो सक। अन्य प्रकार के अपराधों पर नियन्त्रण उक्त पुलिस चौकी के कर्मियों का द्वितीयक कार्य है। इस दृष्टिकोण से प्रश्नगत् पुलिस चौकी के

प्रभारी के रूप में याची अपराध नियन्त्रण में पूर्णतः विफल रहा है एवं इसी दोष सिद्धि के कारण उसे विभागीय कायवाही के अन्तर्गत दण्डादेश दिया गया है। याची की अपील भी बलहीन होने के कारण ही अस्वीकृत की गयी है। तद्नुसार, याचिका बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

8. प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के गहन अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर द्वारा एक गोपनीय रिपोर्ट दिनांक 03.02.2021 को उत्तरदाता संख्या–03 को प्रेषित की गयी जिसमें उल्लिखित ह कि क्षेत्राधिकारी, बाजपुर, ऊधम सिंह नगर द्वारा दिनांक 10.12.2020 एवं पुनः दिनांक 02.02.2021 को किये गये औचक निरीक्षण में प्रश्नगत् पुलिस चौकी सुल्तानपुर पट्टी के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अवैध खनन एवं परिवहन होता हुआ पाया गया, एवं समस्त परिवहन को ओवरलोडिंग तथा अवैध खनन व्यापार में लिप्त पाया गया। प्रश्नगत् पुलिस चौकी के प्रभारी के रूप में याची का इसमें सम्मिलित होना एवं कर्तव्यों के प्रति उनकी लापरवाही परिलक्षित हुई। प्रकरण में अवैध खनन की रोकथाम पर कड़ी चेतावनी दिये जाने पर भी याची द्वारा कोई परिवर्तन अपने कार्य व्यहार में नहीं किया गया।

9. गोपनीय रिपोर्ट दिनांक 03.02.2021 का संज्ञान लेते हुये उत्तरदाता संख्या–03 तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधम सिंह नगर द्वारा पुलिस अधीक्षक, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर को अपने आदेश पत्र दिनांक 15.02.2021 द्वारा प्रकरण की गहन जॉच करने के आदेश निर्गत किये गये, जिसके कम में जॉच अधिकारी द्वारा अपनी विस्तृत जॉच आख्या दिनांक 16.03.2021 को उत्तरदाता संख्या–03 को प्रेषित की गयी।

10. जॉच आख्या में जॉच अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से याची को अन्य पुलिस सहकर्मियों के साथ–साथ दोषी निर्धारित किया गया। इस प्रकार

विस्तृत जॉच में प्रथमदृष्टया याची दोष सिद्ध हुआ जिसका संज्ञान लेते हुए उत्तरदाता संख्या–03 द्वारा याची को कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.04.2021 को निर्गत किया गया एवं याची को यह निर्देशित किया कि इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, कि क्यों न इस कृत्य के लिये उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 एवं अन्य सुसंगत नियमावलियों के अन्तर्गत याची को परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की जायें एवं उक्त परिनिन्दा प्रविष्टि को याची की चरित्र पॅजिका में परिनिन्दा लेख के रूप में अंकित कर दिया जायें। प्रश्नगत् कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित परिनिन्दा प्रविष्टि का स्पष्ट टंकित अंकन भी किया गया है।

11. याची द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.04.2021 का प्रतिउत्तर विस्तार से दिया गया जिसमें याची द्वारा समस्त आरोपों को न केवल निराधार बताया गया बल्कि उच्चाधिकारियों द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रस्त होना भी बताया गया। याची द्वारा यह भी उल्लिखित किया गया कि पूर्व में याची द्वारा विभिन्न अपराधों के नियन्त्रण में उत्कृष्ट कार्य किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि वह अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह नहीं है।

12. उत्तरदाता संख्या–03 तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधम सिंह नगर द्वारा दिनांक 02.03.2022 को याची के स्पष्टीकरण को सन्तोषजनक न मानते हुए प्रस्तावित परिनिन्दा प्रविष्टि को अन्तिम रूप से अंगीकृत करते हुए याची की चरित्र पॅजिका में अंकित किये जाने के आदेश पारित किये गय। याची द्वारा उक्त दण्डादेश दिनांक 02.03.2022 के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी उत्तरदाता संख्या–02 के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो कि बलहीन पायी जाकर दिनांक 31.01.2023 को अस्वीकृत कर दी गई।

13. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने आदेश में निम्नांकित निष्कर्ष अंकित किये गयेः—

> "पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के विधिक दृष्टिकोण से गहन अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण में अपीलार्थी पर लगाये गये आरोप उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूर्णतः प्रमाणित होते है। प्रकरण में नियमानुसार प्रारम्भिक जॉच कराने के पश्चात् अपीलार्थी को बचाव का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त ही अन्तिम दण्डादेश पारित किया गया है, जिसमें प्रकिया सम्बन्धी कोई त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे वह निर्दोष सिद्ध होता हो। इस कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधम सिंह नगर द्वारा पारित अन्तिम दण्डादेश उचित है, जिसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।
>
> अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई बल नहीं है। अपील बलहीन एवं अस्वीकृत होने योग्य है। अतः उ0नि0 ना0पु0 विपिन चन्द्र जोशी द्वारा प्रस्तुत यह अपील एतद्द्वारा अस्वीकृत की जाती है।"

14. सम्पूर्ण साक्ष्य एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि उत्तरदाता संख्या—03 द्वारा दण्डाधिकारी के रूप में दिनांक 28.04.2021 को निर्गत कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित परिनिन्दा प्रविष्टि को शब्दशः दण्डादेश दिनांक 02.03.2022 में अन्तिम रूप से टंकित कर दिया गया है। यद्यपि ऐसा किये जाने में कोई अस्वाभाविकता नहीं ह, फिर भी यह अवश्य परिलक्षित होता है कि दण्डाधिकारी द्वारा विस्तृत जॉच रिपोर्ट दिनांक 16.03.2021 के आधार पर कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.04.2021 निर्गत करने से पूर्व ही अपना मन्तव्य याची के दोषी होने एवं उक्तानुक्रम में निर्गत किये जाने वाले दण्डादेश के विषय में स्थिर कर लिया गया था। इसी कारण से कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.04.2021 में प्रस्तावित परिनिन्दा प्रविष्टि को

शब्दशः अन्तिम दण्डादेश दिनांक 02.03.2022 में यन्त्रवत टंकित कर दिया गया है। इसका परोक्ष तात्पर्य यह हुआ कि याची के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर याची को दिये जाने से पूर्व ही उसके प्रतिउत्तर/प्रार्थनों को बिना स्वविवेक का प्रयोग किये हुए पूर्वाग्रह के अन्तर्गत अस्वीकार कर दिया गया। यह न्यायसंगत नहीं है।

15. ऐसे प्रकरणों में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल एवं इस अधिकरण द्वारा पूर्व निर्णीत याचिकाओं में यह मन्तव्य रहा है कि इस प्रकार के दण्डादेशों एवं अपील अस्वीकृतियों में पारदर्शिता एवं न्यायिक स्वविवेक परिलक्षित न होने के कारण ऐसे आदेश गम्भीर न्यायिक त्रुटि से ग्रस्त है। यह विशेष रूप से अवलोकनीय है कि दण्डाधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के स्तर पर किये जाने वाले निर्णय अर्द्ध न्यायिक प्रकृति के होते हैं जिनमें पारदर्शिता, निष्पक्षता, स्वविवेक के प्रयोग के साथ–साथ "न्याय किया गया ह" ऐसा दृष्टिगत होना भी अपरिहार्य है। ऐसी परिस्थिति में प्रश्नगत् प्रकरण में अपीलीय दण्डादेश दिनांक 02.03.2022 तथा अपील अस्वीकृति आदेश दिनाक 31.01.2023 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं ह।

आदेश

तद्नुसार, याची की याचिका स्वीकार की जाती है। आलोच्य दण्ड आदेश दिनांकित 02.03.2022 (निर्देश याचिका का संलग्नक 1) तथा अपील प्राधिकारी का अपील निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 31.01.2023 (निर्देश याचिका का संलग्नक 2) अपास्त किये जाते हैं। यदि विभागीय अधिकारी आवश्यक समझें तो, प्रश्नगत जॉच रिपोर्टो के आधार पर पुनः नियमानुकूल विभागीय कार्यवाही संस्थित कर सकते हैं जिसमें न्यायालयों के उपरोल्लिखित प्रेक्षणों का ध्यान रखते हुए विभागोय कार्यवाही का

न्यायोचित तौर पर सम्पादित किया जाये। पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना स्वयं वहन करेंगे।

दिनांकः नवम्बर 11, 2024
नैनीताल।

(कैप्टन आलोक शेखर तिवारी)
सदस्य (प्रशासनिक)

बी0के0